उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या -   /ix-1/2022
देहरादूनः दिनांक 19 जुलाई, 2022

अधिसूचना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के द्वारा मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 प्रख्यापित किया गया है, जिसमें यान की सभी प्रवर्गों और उनके अन्तिम स्वामियों, मोटर कार, संग्रहण केन्द्रों, ऑटोमेटिव विखंडन, स्क्रेपिंग और रिसाइकलिंग सुविधाओं और ऑटोमेटिव अपशिष्ट उत्पादों की सभी प्रकार की रिसाइकलिंग हेतु विभिन्न नियमों आदि का प्राविधान किया गया है।

2. उक्त अधिसूचना के नियम–3 (1) (ख) एवं (ठ) के द्वारा राज्य के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग हेतु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किये गये हैं :–

नियम–3 (ख) "अपील प्राधिकारी" से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की रैंक से उपर का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो, जिसको रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के नियम (9) के उपनियम (5) के अनुसार किए गए कार्य के विरूद्ध अपील नियम 15 के अधीन निर्दिष्ट की जा सकें;

(ठ) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो आयुक्त (परिवहन) की रैंक से नीचे का न हो और इस प्रयोजन के लिए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो;

3. अतएव उपर्युक्तानुसार उल्लिखित नियमों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त (प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग हेतु निम्नानुसार रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–)

(1) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी – परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
(2) अपीलीय प्राधिकारी – सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

Signed by Arvind Singh Hyanki.
Date: 19-07-2022 12:37:00

(अरविन्द सिंह ह्यॉंकी)
सचिव।

संख्या– (1)/ix-1/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लीथो प्रेस रूड़की, हरिद्वार को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह ह्यॉंकी)
सचिव।

Scanned with CamScanner